



82

न्यायालय माननीय राजस्व मण्डल मध्यप्रदेश ग्वालियर

प्रकरण क्रमांक एक/निग/विदिशा/भू.रा./2017/4331

श्री. लखन सिंह धारण एड.
द्वारा आज दि. 09/11/17 को
प्रस्तुत

9-11-17
क्लर्क ऑफ कोर्ट
राजस्व मण्डल म.प्र. ग्वालियर

पं. दि. 14-11-17

1. रामकुंवर बाई पत्नी स्व० श्री कमलसिंह,
2. बनवीर सिंह पुत्र स्व० श्री कमलसिंह
3. लाखन सिंह पुत्र स्व० श्री कमलसिंह
4. योगेन्द्र सिंह पुत्र स्व० श्री कमलसिंह
निवासीगण- ग्राम बरखेडा माखू, तहसील
शमशाबाद, जिला विदिशा म०प्र०
5. श्रीमती उच्छाबाई पुत्री स्व० श्री कमलसिंह
पत्नी श्री मोहरसिंह,
निवासी - ग्राम बीज, तहसील शमशाबाद,
जिला विदिशा म०प्र०
6. श्रीमती इन्द्राबाई पुत्री स्व० श्री कमलसिंह
पत्नी श्री चंदरसिंह,
निवासी - ग्राम खडेर, तहसील नटेरन,
जिला विदिशा म०प्र०
7. शशिबाई पुत्री स्व० श्री कमलसिंह पत्नी
स्व० श्री राजप्रभा सिंह,
निवासी- आरासैयर, तहसील बासौदा,
जिला विदिशा म०प्र०

— आवेदकगण

बनाम

1. प्रेमसिंह पुत्र श्री बाबूलाल, निवासी बडखेडा,
तहसील नटेरन, जिला विदिशा म०प्र०
2. अनन्त सिंह पुत्र श्री पर्वत सिंह,
3. कमलसिंह पुत्र श्री बहादुर सिंह,
निवासी- हमीरखेडी, तहसील बैरसिया,
जिला भोपाल म०प्र०

— प्रतिअपीलार्थी

(L.S. Dhale) 09-11-17

निगरानी आवेदन पत्र अंतर्गत धारा 50 म०प्र० मू-राजस्व
संहिता, 1959 के विरुद्ध न्यायालय कलेक्टर, जिला विदिशा
के प्रकरण क्र० 01/बी-121/2016-17 में पारित आदेश
दिनांक 18.09.2017 के विरुद्ध प्रस्तुत।

माननीय न्यायालय,


आवेदकगण की ओर से निगरानी निम्न प्रकार है।

3

राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश - ग्वालियर

अनुवृत्ति आदेश पृष्ठ

प्रकरण क्रमांक - एक/निगरानी/विदिशा/भू.रा./2017/4331

स्थान एवं दिनांक	कार्यवाही तथा आदेश	पक्षकारों एवं अभिभाषकों आदि के हस्ताक्षर
5-12-18	<p>आवेदक की ओर से अधिवक्ता श्री लखन सिंह धाकड़ उपस्थित। आवेदक की ओर से यह निगरानी कलेक्टर के आदेश के विरुद्ध प्रस्तुत की गई है। म.प्र. भू-राजस्व संहिता में दिनांक 25.09.2018 को हुए संशोधन के फलस्वरूप अब नवीन संशोधित संहिता की धारा 50 सहपठित संहिता की धारा 54(ए) के अंतर्गत कलेक्टर द्वारा पारित आदेश के विरुद्ध सुनवाई आयुक्त द्वारा की जाना है। अतः यह प्रकरण सुनवाई हेतु आयुक्त को भेजा जाता है। उभयपक्ष प्रकरण में सुनवाई हेतु दिनांक 26-2-19 को आयुक्त भोपाल संभाग भोपाल के समक्ष उपस्थित हों।</p> <p style="text-align: right;">  प्रशासकीय सदस्य </p>	